न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम प्रार्थीगण :–

भंवरलाल पुत्र तेजमल
महाजन सा. गुढासाल्ट

1. अनोपदेवी पुत्री दानमल पत्नी सीताराम सा0 बूंदी
2. नरकलदेवी पुत्री दानमल पत्नी भगवतीप्रसाद सा.अजमेर
3. टीलू उर्फ शिवकुमार पुत्र नंदकिशोर सा. बूंदी
4. कैलाश पुत्र चेतराम सा. मोडक जिला कोटा
5. मोहनीदेवी पत्नी बालूराम जाट सा. बनगढ
6. पदमादेवी पत्नी हुनमानाराम जाट सा. बनगढ
7. तहसीलदार नांवा

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री देवोसिंह वकील प्रार्थी
श्री महावीर प्रसाद वकील अप्रार्थी 1 से 6

मुकदमां नम्बर :– 92/2007 निर्णय दिनांक :– 28.12.2017

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 175, 294, 292, 293, 298, 299 कुल रकबा 7.93 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त भूमि स्व. दानमल पुत्र लादूराम व उनके संगे भाई प्रार्थी के पिता स्व. तेजमल के कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि हैं स्व. दानमल व प्रार्थी के पिता तेजमल अपने जीवनकाल में शामिल में ही रहते थे प्रार्थी के माता –– पिता का स्वर्गवास प्रार्थी के बचपन में ही हो गया था प्रार्थी का लालन –– पालन स्व. दानमल जी ने ही किया था। स्व. दानमल जी व उनकी पत्नी रामप्यारी के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने से प्रार्थी को अपना पुत्र मानते थे स्व. दनमल जी का स्वर्गवास वर्ष 1980 में तथा उनकी पत्नी रामप्यरी का स्वर्गवास दिनांक 13.06.1991 को हो गया जिनके सभी कियाकर्म प्रार्थी ने ही किऐ हैं स्व. दानमल जी अपने जीवनकाल में दिनांक 15.10.1977 को एक वसीयत अपनी चल– अचंल सम्पति के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जिसमें मेरी पत्नी रामप्यारी जीवित रहेगी तब तक मेरी उत्तराधिकारी व सम्पति की मालिक रहेगी एवं उसकी मृत्यु के बाद समस्त सम्पति का मालिक प्रार्थी रहेगा अंकित किया था। लेकिन दिनांक 13.06.1991 को स्व. रामप्यारी का स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थी 1 से 4 ने चुपचाप नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया अप्रार्थी 1 से 4 का मौके पर कभी कोई कब्जा काश्त व हक हिस्सा नहीं रहा हैं उक्त खातेदारी के आधार अप्रार्थी 1 से 4 प्रार्थी को बेदखल करने की धमकीयां दे रही हैं जिससे प्रार्थी ने उक्त वसीयत के आधार खातेदारी घोषणा किऐ जाने का वाद पेश किया हैं उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 4 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुऐ जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण के पिता स्व. दानमल जी व प्रार्थी के पिता स्व. तेजमल जी कभी भी संयुक्त रूप से नहीं रहे न ही

उपखण्ड अधिकारी
नावां

कभी संयुक्त रूप से इस विवादित आराजीयत पर कब्जा काश्त रहा हैं प्रार्थी का लालन – पालन अप्रार्थीगण के पिता दानमल व माता रामप्यारी ने नहीं किया हैं बल्कि प्रार्थी अपने बचपन में ही निकट के रिश्तेदारी में अजमेर चला गया था उसका लालन – पालन नहीं हुआ हैं अप्रार्थीगण के पिता ने कभी कोई वसीयत प्रार्थी के पक्ष में नहीं की हैं दिनांक 15.10.1977 को अप्रार्थीगण के पिता सख्त रूप से बिमार होने से चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे बिस्तर पर ही अपने ग्राम गुढासाल्ट में ही बेठे रहते थे दिनांक 15.10.1977 को अजमेर जाकर वसीयत करने का तथ्य गलत हैं उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता स्व. दानमल जी व उनके बाद अप्रार्थीगण की माता स्व. रामप्यारी एवं उसके बवाद अप्रार्थीगण 1 से 4 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही हैं अप्रार्थीगण 1 से 4 को अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने तथा बैचान व बख्सीश करने का पूर्णतया अधिकार रहा हैं जिसके आधार पर अप्रार्थी 5 व 6 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया हैं उक्त भूमि पर आज भी अप्रार्थी 5 , 6 ही कब्जा काश्त व अधिकार चला आ रहा हैं। अप्रार्थी 5 , 6 ने जवाब पेश कर अप्रार्थी 1 से 4 के जवाब की तायद की हैं तथा मौके पर काबिज काश्त होना स्वीकार किया हैं। तत्पश्चात वकुलाय को बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम गुढासाल्ट की जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के अनुसार उक्त विवादित सम्पूर्ण आराजीयत अप्रार्थी 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थी ने उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार स्व. दानमल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 15.10.1977 को की गई वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद व उसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं उक्त वसीयत के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश (व.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम –वर्ग नाम में अन्तर्गत धारा 420, 471, 120 बी आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ हैं जिसमें थानाधिकारी नांवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिसमें एफ.एस.एल. रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण जांच के बाद उक्त वसीयत को फर्जी होना माना हैं तथा प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध को प्रथम दृष्टया प्रमाणित कर चालान न्यायालय में पेश किया हैं। जिससे उक्त वसीयत को विशवसनिय दस्तावेज नहीं माना जा सकता हैं, तथा कथित वसीयत फर्जी दस्तावेज साबित हो चुका हैं तथा उक्त तथाकथित दस्तावेज तैयार करने के अपराध में सजा हेतु प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं तथाकथित वसीयत जो अनुसंधान में फर्जी दस्तावेज साबित हो चुका हैं के आधार पर अप्रार्थीगण जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं को पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कानून अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नांवा

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा